

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-02/2020-21

सावित्री देवी प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य द्वितीय पक्ष

आदेश


आवेदिका सावित्री देवी, पति- गोविन्द मिश्रा, साकिन- पथलडीहा, पोस्ट- बरवाडीह, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 283 R27/2018-19 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-


मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
पथलडीहा	102	01	1576	14.5 डी०

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या 283 R27/2018-19 में दिनांक 22.06.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर ऑनलाईन पंजी II में विक्रेता के नाम से प्लॉट दर्ज नहीं रहने के कारण दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदिका द्वारा न्यायालय में अपील वाद दायर कर उक्त भूमि से संबंधित ऑनलाईन पंजी II की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 283 R27/2018-19 में दिनांक 22.06.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)